

To Open Registry of Land

48. Sh. BISHAN LAL SAINI (Radaur): Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the registry of land has closed under Municipal Committee, Radaur;

b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open the above said registry; and

c) the extent of loss of revenue being caused due to not having registry togetherwith the details thereof?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA:-

a) No Sir,

b) The question does not arise.

c) No loss of revenue occurred as applicable stamp duty and registration fee is being charged at the time of registration of documents as per provisions of the Indian Stamp Act, 1899 and the Registration Act, 1908.

भूमि की रजिस्ट्री खोलना

48. श्री बिशन लाल सैनी (रादौर):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि-

- (क) क्या यह तथ्य है कि नगर समिति, रादौर के अन्तर्गत भूमि की रजिस्ट्री बन्द की गई है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त रजिस्ट्री को कब तक खोले जाने की संभावना है; तथा
- (ग) रजिस्ट्री न होने के कारण कुल कितने राजस्व का नुकसान हुआ तथा इसका ब्यौरा क्या है?

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री, हरियाणा

(क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों के पंजीकरण के समय लागू स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के रूप में राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है।